

8/8/25

आदेश

वा. सं. 84/25
BNSS 163

उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कारणसूची का अध्ययन करने, उभय पक्ष द्वारा दाखिल राख्य दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष अलग-अलग स्वत्व संबंधी कागजातों के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना-अपना दावा करते हैं। वादग्रस्त भूमि और मजबूत खाने की हैं तथा उक्त भूमि की प्रकृति भी-जात नहीं है। चूँकि उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न विवाद स्वत्व (Title) से संबंधित है अतः किसी पक्ष के हित में या बिकर कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष चाहें तो वाद के निपटारे हेतु सशम न्यायालय में युक्तिपूर्ण (contentious) वाद दायर कर सकते हैं। चूँकि मामला और-मजबूत भूमि से संबंधित है तथा उभय पक्ष के द्वारा एक ही-लगान रसीद दाखिल नहीं किया गया है अतः उपरोक्त भूमि पर प्रस्तुत

आदेश पर की

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

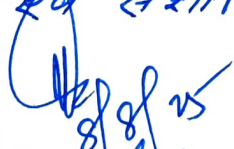
पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

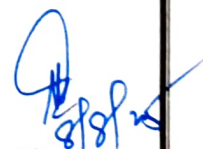
आदेश पर की
गई कार्यवाई के
बारे में टिप्पणी
तिथि सहित

दावों की सुझाव से जौच आवश्यक है अतः अंचल अधिकारी, बिनी को आदेशित किया जाता है कि निम्नानुसार उक्त दावों की जौच करें तथा प्राप्त फलफल के आधार पर विधि सम्मत निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त होधित की जाती है। आदेश की जाने उभय पक्ष, अंचल अधिकारी बिनी तथा चाना उगरी बिनी को जेजे।

लेखापिन एवं संशोधित


SDM Bagodar Sarin.


SDM.